कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या एम0ई0–1/2021/2000 लखनऊ दिनॉक 12 मई, 2021

विज्ञप्ति

कोविड–19 महामारी के संघर्ष में स्वास्थ्यकर्मियों को सेवा का अवसर

महानिदेशालय की विज्ञप्ति संख्या–एम0ई0–1/2021/1934 दिनांक 08 मई 2021 द्वारा कोविड–19 महामारी की द्वितीय लहर के दृष्टिगत कोविड संकमित मरीजों के उपचार हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेज यथा–कानपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, झॉसी, गोरखपुर, अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन, आजमगढ़, सहारनपुर, बॉदा तथा बदायूॅ, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा–अयोध्या, बस्ती, बहराईच, शाहजहॉपुर तथा फिरोजाबाद, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शिक्षण संस्थान, नोएडा, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ0प्र0आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में स्थापित कोविड चिकित्सालयों में जनशक्ति की कमी को दूर करनें हेतु निजी क्षेत्र के एवं सेवानिवृत्त चिकित्सकों को कोविड वार्डों में ड्यूटी हेतु प्रेरित करनें के उद्देश्य से एन0एच0एम0 की दरों पर मानदेय के आधार पर कोविड वार्डों में तैनात किये जानें वाले कार्मिकों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि पर इन्गेज किये जानें हेतु पदवार मानदेय एवं प्रोत्साहन धनराशि सम्मिलित करते हुये विवरण प्रकाशित किया गया था।

तैनात किये जाने वाले चिकित्सको का मानदेय निम्नवत निर्धारित किया जाता है:–

क्र. सं.	पदनाम	मानदेय प्रतिमाह * (25 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि सम्मिलित करते हुये अधिकतम)	न्यूनतम अर्हता
1	निश्चेतक, फिजीशियन, चेस्ट फिजीशियन	1,50,000/–	सम्बन्धित विशिष्टता में पोस्ट ग्रेजुएट (एम0डी0/एम0एस0/डप्लोमा)
2	चिकित्सक	75,000/–	एम0बी0बी0एस0
3	एम0बी0बी0एस0 इन्टर्न	15,000/– (इन्टर्नशिप स्टाइपेन्ड के अतिरिक्त)	एम0बी0बी0एस0 उत्तीर्ण

*** मानदेय की गणना चिकित्सक द्वारा किये गये कार्यदिवस एवं पूर्व विज्ञप्ति दिनांक 08.05.2021 के द्वारा निर्धारित प्रति दिन की दर के आधार पर की जायेगी।**

उपरोक्त पदों पर इन्गेज किये जाने की कार्यवाही वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से सम्बन्धित कालेज/संस्थान के प्रधानाचार्य/निदेशक/कुलसचिव के माध्यम से की जायेगी।

इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या–एम0ई0–1/2021/1934 दिनांक 08 मई 2021 की शेष शर्ते/दिशा–निर्देश यथावत् रहेंगे।

महानिदेशक।